



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)  
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority  
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India  
एन ए एस सी काम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012  
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012  
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- [la-ppvfra@nic.in](mailto:la-ppvfra@nic.in)

दिनांक: 27.12.2022

सार्वजनिक सूचना  
(2022 का 11)

पीपीवी एंड एफआर नियम , 2003 के नियम 22(2) के तहत पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने दिनांक 01.12.2022 को हुई 34वीं बैठक में निम्नलिखित फसल प्रजातियों की डीयूएस परीक्षण शुल्क जो नीचे हैं:

क्र.सं.	पंजीकरण के लिए उपयुक्त फसल प्रजातियां	डीयूएस परीक्षण शुल्कस	ऑन-साइट परीक्षण शुल्क
1.	कोको (थियोब्रोमा काकाओ एल.)	रु. 50,000/-	उपलब्ध नहीं
2.	मूली (राफानस सैटिवस एल.)	रु. 50,000/-	उपलब्ध, नहीं
3.	गाजर (डकस कैरोटा एल.)	रु. 50,000/-	उपलब्ध नहीं

-हस्ताक्षरित-  
(डी.के. अग्रवाल)  
महापंजीकार